



महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

एम. एस. जे. कालेज परिसर, भरतपुर – 321001

Ph. & Fax No. 05644-220560, Email- info@msbrijuniversity.ac.in

Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :- प.2(71)मसूबूवि/लेखा/2019/२२७७

दिनांक : 15/2/2019

निविदा सूचना

इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में भरतपुर एवं धौलपुर जिले में स्थित महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सामग्री के परिवहन हेतु विभिन्न प्रकार के वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक मिनी बस आदि वाहनों के किराये पर लिये जाने हेतु दिनांक 31.01.2020 तक की अवधि के लिये दर संविदा हेतु ट्रांसपोर्टर का व्यवसाय करने वाली फर्मों/ट्रैवलिंग एजेन्सीयों/वाहन स्वामियों से निर्धारित निविदा प्रपत्र पर दरें दिनांक 25.02.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक बन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं एवं निविदाएं दिनांक 25.02.2019 को ही अपरान्ह 2.00 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। कार्य की अनुमानित लागत 10.00 लाख रुपये होगी, निविदा प्रपत्र एवं शर्तें लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं www.msbrijuniversity.ac.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है निविदा प्रपत्र एवं शर्तें रू0 500/- के भुगतान पर कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर रू0 500/- का डी. डी. निविदा शुल्क का संलग्न करना होगा।


कुलसचिव

निविदा-प्रपत्र

परिवहन के लिए

कुलसचिव

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय,

भरतपुर

विषय :- वर्ष 2019 में परीक्षा सामग्री परिवहन हेतु व अन्य उपयोग हेतु मिनी ट्रक (टाटा 709/टाटा 407 एलपीटी 14 फीट लम्बी), मिनी बस, ट्रैवलर, पिकअप वेन, जीप एवं कार वाहनों के लिए निविदा।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता
2. दूरभाष नं. ऑफिस/दुकान घर मोबाईल न0
3. प्रोपराइटर/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम जिससे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
नाम मोबाईल नं.
4. पेन नं. बैंक का नाम व पता
बैंक का खाता संख्याखाते का प्रकार-SB/CA, IFSC Code.....
परिवहन कार्यालय में पंजीयन संख्या.....
(प्रतियां संलग्न करें)।
5. निविदा शुल्क की राशि कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के नाम रु 500/- (अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट नं. दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है।
6. धरोहर राशि 20,000/- रु0 (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) डी.डी. सं0/नकद रसीद सं0..... दिनांकबैंक का नामजमा करा दी गयी है।
7. निविदा सूचना संख्या दिनांक जो समाचार पत्र के संस्करण में दिनांक को प्रकाशित हुई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गई हैं (जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
8. संलग्न सूची में विशिष्टीकरण के आधार पर दरें उनके सम्मुख अंकित की गई है।

दर अनुसूची-1

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. सभी कर सहित (टोल टैक्स के अलावा) डीजल व ऑयल सहित	
		दर प्रति माह (1500 कि.मी. तक परिचालन की लागत सहित)	माह में 1500 कि.मी. से अधिक चलने पर दर प्रति कि.मी. (अधिक कि.मी. के लिए)
1	कार ए.सी. (स्विफ्ट डिजायर/इण्डिगो)		
2	कार ए.सी. (इनोवा, स्कार्पियो, टवेरा)		
3	जीप (बोलेरो) ए.सी.		

दर अनुसूची-2

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. सभी कर सहित (टोल टैक्स के अलावा) डीजल व ऑयल सहित प्रति दिन		इन अनुसूची की कॉलम सं0 3 व 4 में अंकित निर्धारित दूरी से अधिक चलने पर किराया प्रति किलोमीटर डीजल व ऑयल सहित
		125 कि.मी. तक परिचालन का एक मुश्त किराया प्रतिदिन	125 कि.मी. से अधिक व 250 कि.मी. तक परिचालन होने एक मुश्त किराया प्रतिदिन	
1	2	3	4	5
1	कार ए.सी. (स्विफ्ट डिजायर/इण्डिगो)			
2	कार ए.सी. (इनोवा, स्कार्पियो, टवेरा)			
3	जीप (बोलेरो) ए.सी.			

दर अनुसूची-3

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	दर प्रति कि.मी. सभी कर सहित (टोल टैक्स के अलावा) डीजल व ऑयल सहित प्रति दिन		उत्तर पुस्तिकाओं के वण्डल (पैकेट) वाहन में परिवहन किये जाने वाले वण्डलों की न्यूनतम संख्या
		250 कि.मी. तक एक मुश्त	250 कि.मी. से अधिक दूरी के लिए प्रति कि.मी.	
1	मिनी ट्रक (टाटा 407)			130
2	मिनी ट्रक (टाटा 709/टाटा 407 LPT 14 फीट लम्बी)			200
3	महेन्द्रा पिकअप (कवर्ड)			110

निविदाकार के हस्ताक्षर

—: घोषणा :-

उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमने निविदा शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर ध्यानपूर्वक भरी हैं। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि रजिस्ट्रार, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरि होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग में पंजीकृत है तथा फर्म द्वारा वास्तव में उक्त व्यवसाय किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा वांछित वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम है। केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशापी संस्था/निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। निविदा सूचना एवं उसके साथ संलग्न सामान्य निर्देश अनुबन्ध का भाग मानी जावेगी। निर्धारित प्रपत्र "बी" में घोषणा मुहर युक्त हस्ताक्षर कर संलग्न की जा रही हैं।

दिनांक

निविदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर एवं डाक व पता

निविदादाताओं के लिए सामान्य निर्देश :-

1. निविदा प्रपत्र आदि ऑनलाईन डाउनलोड करने पर निविदा शुल्क का डिमाण्ड राशि 500/- कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के नाम देय होगा।
2. अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि 20,000/- रू0 (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के नाम प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं www.msbrijuniversity.ac.in पर देखी जा सकती है व डाउनलोड की जा सकती है।
4. टेण्डरिंग ऑथोरिटी न्यूनतम दरों को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है। किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
5. निविदादाता को जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड की प्रति (आयकर विभाग द्वारा जारी) संलग्न करनी होगी।
6. निविदादाता यह विशेष ध्यान रखे कि निर्धारित समय से पूर्व निविदायें प्रस्तुत करें।
7. निविदा में अंकित कार्य से संबंधित अनुभव के लिए अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।
8. निविदा में अंकित दरें स्वीकार करने हेतु 90 दिवस के लिए मान्य होगी।
9. दरें स्वीकार होने के बाद दर संविदा 31.01.2020 तक के लिए होगी। विश्वविद्यालय की सहमति से अवधि को 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
10. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 भी लागू होंगे।
11. सफल बोलीदाता को दर स्वीकृति की सूचना के 15 दिवस में उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा तथा अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत राशि के बराबर धरोहर राशि (अमानत राशि को समायोजन बाद) कार्यालय में जमा करानी होगी।
12. गाड़ियों के किराये का भुगतान बिल आदि प्रस्तुत किये जाने पर मासिक किया जावेगा।
13. अनुबन्ध की शर्तों, निविदा की शर्तों के उल्लंघन पर, मांग के अनुरूप वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर तथा विश्वविद्यालय के लिए किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के कृत्य करने पर धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
14. कार्यालय द्वारा एक ही समय में व एक ही दिन काफी संख्या में वाहनों की मांग की जाती है, अतः निविदा भरने वाली फर्म यह सुनिश्चित कर ले की जिन वाहनों की दरें उनके द्वारा दी गई है उनकी उपलब्धता कार्यालय की मांग के अनुरूप हो सके।
15. उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर सम्मिलित होने चाहिए एवं वाहन अच्छी व चालू हालत में होना अपेक्षित हैं। सभी वाहन, वाहनों के शीशे, खिड़कियां, दरवाजे, ट्यूब, टायर, स्टेपनी, माइलोमीटर, फंटे, त्रिपाल, एवं रस्सी सही स्थिति में व लॉकिंग सिस्टम भी ठीक होना अपेक्षित है।
16. एक दिन/समय की गणना कार्यालय में वाहन उपलब्ध कराने के समय से अगले 24 घण्टे तक/दर अनुसूची में अंकित समय के लिए की जावेगी।
17. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
18. दरें देने वाली फर्म ये सुनिश्चित कर लें कि वह संबंधित वाहन उपलब्ध कराने में समर्थ है।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भरतपुर, राजस्थान होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदादाता, निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों का अत्यधिक ध्यान रखें।

1. फर्म का पंजीकरण आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. फर्म का बिक्रीकर विभाग में जीएसटी पंजीकरण आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. वाहन अनुभवी एवं लाईसेंसधारी चालक द्वारा ही चलाए जाएंगे तथा वाहन से संबंधित समस्त कागजात एवं वैध लाईसेंस चालक को अपने साथ रखने होंगे।
4. आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित समस्त कर एवं पथकर आदि फर्म को ही वहन करने होंगे तथा परमिट भी फर्म को स्वयं अपने खर्च पर ही प्राप्त करना होगा। पार्किंग व्यय वाहन के ठेकेदार को वहन करना होगा।
5. किसी भी यांत्रिक/परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि इस विभाग को अतिरिक्त मूल्य, वाहन की व्यवस्था पर वहन करना पड़ा तो यह राशि फर्म के बिल में से कम की जाएगी।
6. फर्म अथवा वाहन चालक द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को वाहन द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. परीक्षा सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने हेतु फर्म द्वारा रवाना होने, पहुंचने, परिवहन की जाने वाली सामग्री एवं रूट आदि के विषय में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जाएगी।
8. वाहन चालक को इस विभाग द्वारा दिए गए समय पर ही निर्धारित स्थल पर सामग्री पहुंचाने हेतु विशेष सतर्कता बरतनी होगी।
9. दर अनुसूची-3 में अंकित किस्मवार वाहनों के सामने अंकित न्यूनतम बण्डलों की संख्या परिवहन किये जा सकेंगे। यदि वाहन में परिवहन करने की क्षमता अधिक होगी तो अधिक बण्डल परिवहन किये जा सकेंगे।
10. वाहन चालक को किसी भी रूट पर रवाना होने से पूर्व यात्रा में प्रयोगकर्ता प्रभारी द्वारा रीडिंग स्लिप व लॉग बुक पर हस्ताक्षर करवाकर संबंधित प्रभारी अधिकारी से प्रमाणीकरण कराना होगा।
11. निविदा में दी गई दरें अनुबंध की तिथि से **31.01.2020** तक के लिए मान्य होंगी। इसके आगे की अवधि पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए यह कार्यालय बाध्य नहीं है।
12. अनुमोदित सेवाप्रदाता की दरें स्वीकृत किये जाने एवं कार्यादेश दिये जाने पर उचित मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पर इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित दरों एवं शर्तों के अनुरूप करारनामा निष्पादित करना होगा।
13. अनुमोदित सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक वाहन जो इस कार्यालय के कार्य हेतु प्रस्तुत होना है, में किलोमीटर रीडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से कार्य कर रहा है।
14. सामान्यतः वाहन राजस्थान राज्य में जिला भरतपुर एवं धौलपुर में स्थित कस्बों/शहरों में ही भेजे जायेंगे किन्तु आवश्यकता पड़ने पर राज्य से बाहर भी भेजे जा सकते हैं। राजस्थान से बाहर भेजे जाने वाले वाहनों पर अलग से किसी प्रकार का कर व पृथक दरें स्वीकार नहीं की जाएगी।
15. (अ) अनुबंध के पूर्व या अनुबंध के समय निविदा में दर्शाये गये समस्त वाहनों के प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र मूल ही इस कार्यालय द्वारा मंगाये जाने पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
(ब) आदेशानुसार वाहनों की आपूर्ति पर आपूर्ति के पेटे भेजे जाने वाले वाहनों के समस्त कागजात यथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, इन्श्योरेंस प्रमाण पत्र व ड्राइवर के लाइसेंस की फोटो प्रतियां एवम् मोबाईल नम्बर रवाना होने से पूर्व उपलब्ध कराने होंगे। इन प्रमाण-पत्रों के अभाव में भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. वाहन अनुबंध के अनुभव हेतु यदि आप द्वारा पूर्व में किसी अन्य संस्था/कार्यालय से वाहन अनुबंध किया गया हो तो संस्था/कार्यालय द्वारा दिए गए आदेश एवं स्वीकृत शर्तों की प्रति संलग्न करें।
17. अनुबंध अवधि में किसी भी संविदा विरुद्ध स्थिति फर्म द्वारा यदि उत्पन्न होती है तो फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
18. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भी भाग को न तो किसी अन्य एजेंसी को सौंप सकेगा एवं न ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
19. सफल निविदाकारों को करार के समय टेण्डर मूल्य की 5 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपये 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) प्रतिभूति के रूप में जमा कराने होंगे, जिसमें उसके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जायेगा। शेष अथवा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

20. निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को, असन्तोषप्रद ढंग से पूरा करने पर निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का विनिश्चय ही अन्तिम होगा।
21. किसी भी प्रकार का अग्रिम संदाय नहीं किया जावेगा।
22. ठेकेदार द्वारा प्रमाणित बिल प्रस्तुत करने पर (बिल के साथ सभी वांछित दस्तावेज संलग्न होना आवश्यक है।) मासिक भुगतान किया जायेगा।
23. भुगतान करार में कार्यादेश में अंकित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।
24. वाहन, सफल निविदाकार को, चाही गई मात्रा में निर्देशानुसार अवधि के लिए उपलब्ध कराना होगा। वाहन अवधि की दिनांक से एक दिन में उपलब्ध कराना आवश्यक है। यह आदेश दूरभाष पर भी दिया जा सकता है।
25. फर्म को दिये गये कार्यादेश में जो समय वाहन के कार्यालय में आने का निर्धारित है उस समय तक वाहन के कार्यालय में नहीं आने पर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रति घंटा 100/- रुपये प्रति वाहन के हिसाब से कटौती की जायेगी।
26. वाहन निविदा शर्तानुसार एवं कार्यादेशानुसार उपलब्ध नहीं कराए जाने पर 1000/- प्रति वाहन शास्त्र के रूप बिल में से काटी जायेगी।
27. किसी भी वैधानिक वाद की स्थिति में फर्म द्वारा संस्थित किये जाने वाले दावे, यदि आवश्यकता पड़े, भरतपुर में स्थित न्यायालयों में ही प्रारम्भ करने होंगे। किसी अन्य स्थान पर नहीं।
28. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र में संलग्न शर्तों का पालन करने की सहमति के प्रमाणस्वरूप निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर, दर अनुसूची के साथ संलग्न करना होगा।
29. निविदा प्रपत्र समग्र रूप से निर्धारित प्रपत्र में भरकर एवं हस्ताक्षर (प्रत्येक पृष्ठ पर) कर मय मोहर प्रस्तुत करें।
30. यदि वाहन रास्ते में खराब हो जाता है तो वाहनों के ठीक होने में लगने वाले समय को 24 घंटे प्रतिदिन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इससे इस कार्यालय द्वारा की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था की शर्त प्रभावित नहीं होगी।
31. मासिक आधार पर किराये पर लिये जाने वाले वाहन का समय सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे रहेगा।
32. ट्रक, मिनी ट्रक, जीप, कार आदि आर.टी.ओ. के वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार की जाएगी। कार्यालय द्वारा मांगने पर उक्त प्रमाण पत्र दिखाना होगा। वर्ष 2015 के बाद के वाहन उपलब्ध कराने होंगे।
33. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम जिनका उल्लेख ऊपर नहीं दिया गया है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
34. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
35. सभी प्रकार के टैक्स अदा करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
36. वाहन की लॉग बुक सही एवं साफ सुथरी भरी हुई होनी चाहिए जिसमें वाहन के रवाना होने का दिनांक व समय तथा वापस आने का दिनांक व समय, परिचालन किलोमीटर, वाहन में यात्रा करने वाले का नाम, यात्रा का प्रयोजन स्पष्ट रूप से अंकित हो तथा लॉग बुक पर यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी एवं प्रभारी वाहन व्यवस्था से सत्यापित होना चाहिए।
37. फर्म को वाहन की उपलब्धता राजस्थान के किसी भी शहर/कस्बा (भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, सीकर, अलवर, धौलपुर आदि) में स्थान विशेष पर वाहन मांगें जाने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन की यात्रा उस स्थान पर उपलब्ध कराये गये दिनांक व समय से प्रारम्भ मानी जावेगी एवं गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के बाद यात्रा पूर्ण मानी जावेगी। उसी अनुरूप परिचालन किलोमीटर का समय के अनुसार वाहन के किराये का भुगतान किया जावेगा।
38. विशेष :- समय पर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य शर्त होगी।

निविदाता के हस्ताक्षर

कुलसचिव,
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय,
भरतपुर

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to Registrar, Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur for procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No.....Dated.....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act,2012,that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity,
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document,
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons,
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address: